

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या—आत्मा—08/2014— 4542 /कृ०, पटना, दिनांक 30-४- 2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(\*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(\*) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय:-

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 18010.8484 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रुपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रुपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रुपये) की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 7543.00 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 3584.96 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

निदेशानुसार केन्द्र प्रायोजित योजना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 18010.8484 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रुपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रुपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रुपये) की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 7543.00 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 3584.96 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से प्रारंभ नई आत्मा योजना में कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रमावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करने हेतु प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, पुरुष/महिला किसान समूह का गठन/खाद्य सुरक्षा समूह का गठन कर कर के बिहार सभी किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जायेगा। किसान मेला/गोष्ठी/सम्मेलन/ कर्मशाला आदि का आयोजन कर के किसानों को कार्य कुशल बनाया जायेगा। राज्य के अतिविशिष्ट/सर्वश्रेष्ठ कृषकों द्वारा प्राप्त कृषि/कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा। किसानों के द्वारा प्राप्त सफलता को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करने हेतु तकनीकी फिल्म का निर्माण किया जायेगा। कृषि/कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की अद्यतन तकनीक को जल्द से जल्द प्रचारित प्रसारित करने के लिए आत्मा योजना में Innovative Technology Dissemination (ITD) घटक सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना की प्रमुख विशेषता है।

3. वर्ष 2014-15 में जिला तथा न्यून स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे,

मद	भौतिक लक्ष्य
किसानों का प्रशिक्षण	511572
प्रत्यक्षण	48060
एक्सपोजर विजिट	120150
किसान समूह का गठन	5340
किसान समूह को रिमॉलविंग फंड	2670
महिला समूह	1068
किसान समूह को पारितोषिक	190
किसान पारितोषिक	2680
किसान मेला	39
इलेक्ट्रॉनिक फार्म में टेक्नोलॉजी पैकेज का निर्माण	380
किसान वैज्ञानिक संवाद	76
किसान गोष्ठी	1068
कृषि विज्ञान केन्द्र की सहायता	51
फार्म स्कूल	1602

उक्त वर्णित कार्यक्रमों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर कठिपय मदों का कार्यान्वयन किया जायेगा। राज्य (स्टेट कोआर्डिनेटर, जेप्डर कोआर्डिनेटर, निदेशक बामेती, उप निदेशक बामेती, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, भंडारपाल, आशुलिपिक-सह-लिपिक, अनुसेवक-सह-चौकीदार) जिला स्तर पर (परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, आशुलिपिक-सह-लिपिक तथा अनुसेवक-सह-चौकीदार) तथा प्रखंड स्तर पर (प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर तथा अनुसेवक-सह-चौकीदार) को भी रखने का मद स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान का भाग है।

3. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) बिहार के सभी 38 जिलों में क्रियान्वित की जायेगी।

4. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) का कार्यान्वयन संपूर्ण राज्य में बामेती/आत्मा द्वारा किया जायेंगा।

5. बामेती/आत्मा कृषि विभाग के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट के अंतर्गत निबंधित संस्था है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की मार्गदर्शिका के आलोक में कृषि प्रसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन संपूर्ण राज्य में किया जायेगा।

6. इस योजना के लागू होने से बिहार के 38 आत्मा जिलों में कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण एवं परिभ्रमण आदि के माध्यम से दी जायेगी।

7. आत्मा/बामेती सोसाइटी के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

8. सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के द्वारा राशि का हस्तानात्तरण RTGS के माध्यम से किया जाता था किन्तु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. D.O. No. 3-10/2013-PC (Vol. II) दिनांक 22.02.2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल

एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) की राशि राज्य के संचित निधि में हस्तांतरित की जायेगी (अनुसूची-1 संलग्न)।

9. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी की राशि राज्य के संचित निधि में प्राप्त होने के पश्चात मुख्यालय स्तर पर कृषि निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी करेंगे।

10. बामेती/राज्य नोडल सेल मद से व्यय होने वाली राशि का विपत्र निदेशक बामेती तैयार कर निदेशक कृषि को प्रस्तुत करेंगे और जिला स्तर पर परियोजना निदेशक आत्मा विपत्र तैयार कर जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। विपत्र के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि निकासी कर उपलब्ध करायेंगे।

11. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली का पत्र सं. 27(6)/2014- AE दिनांक 02.07.2014 के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना का स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है (अनुसूची-2)।

12. कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी में वर्णित कार्यमदों में 90 प्रतिशत केन्द्रांश देता है शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी में निदेशक बामेती, स्टेट/जेन्डर कोआर्डिनेटर उप निदेशक, परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक का वेतन 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत राज्य सरकार किन्तु किसान मित्र का मानदेय का भुगतान 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 50 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा। भंडारपाल (बामेती) आशुलिपिक-सह-लिपिक एवं अनुसेवक-सह-चौकीदार का मानदेय शत प्रतिशत व्यय भार राज्य योजना से वहन किया जायेगा। मद्वार वित्तीय आवश्यकता निम्न प्रकार (राशि लाख) है—

मद	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान	13980.3714	1553.3746	15533.746
राज्य योजना से स्वीकृत पद	-	2441.1024	2441.1024
बामेती के नवनिर्भित भवन हेतु सुरक्षा व्यवस्था	-	36.00	36.00
कुल	13980.3714	4030.477	18010.8484

13. पदों के अवधि विस्तार/सृजन की स्वीकृति से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है,

विवरण	पद सं०	वेतनमान/नियत वेतन			योग्यता	अभ्युक्ति
		भारत सरकार के प्रावधान	पूर्व से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावधान	स्वीकृत		
राज्य स्तर पर स्टेट कोआर्डिनेटर (नियत वेतन)	01	नियत मानदेय 40,000/- प्रति माह	30000/-	33000/-	एन.एम. ए.ई.टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
राज्य स्तर पर जेन्डर कोआर्डिनेटर (नियत वेतन)	01	नियत मानदेय 40,000/- प्रति माह	-	33000/-	-, तथैव -	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. 9-4/2008-AE दिनांक 03 मार्च, 2014 के द्वारा नये पद का सृजन।
बामेती						
निदेशक	01	37400-	71500/-	अपने	-	अवधि विस्तार

		67000+8700		वेतनमान में।		
उप निदेशक	12	15600— 39100+6600	30800/-	33880/-	— तथैव —	अवधि विस्तार
लेखापाल	01	9300— 34800+4200	11000/-	12100/-	— तथैव —	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	नियत 16000/-	8800/-	12100/-	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
भंडारपाल	01	राज्य योजना	11000/-	12100/-	स्नातक।	अवधि विस्तार
आशुलिपिक—सह— लिपिक	01	राज्य योजना	11000/-	12100/-	स्नातक।	अवधि विस्तार
अनुसेवक—सह— चौकीदार	02	राज्य योजना	6600/-	7260/-	मैट्रिक/ समकक्ष	अवधि विस्तार
जिला स्तर पर आत्मा कार्यालय हेतु						
परियोजना निदेशक	38	15600— 39100+6600	30800/-	अपने वेतनमान में।	—	राज्य सरकार द्वारा अभिगृहित।
उप परियोजना निदेशक	76	15600— 39100+5400	23100/-	अपने वेतनमान में या संविदा आधारित नियोजित का नियत 25410/-	—	राज्य सरकार द्वारा अभिगृहित।
लेखापाल	38	9300— 34800+4200	11000/-	12100/-	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	38	नियत मानदेय 16000/-	8800/-	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के देय मानदेय।	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
आशुलिपिक—सह— लिपिक	38	राज्य योजना	8800/-	9680/-	स्नातक।	अवधि विस्तार
अनुसेवक—सह— चौकीदार	76	राज्य योजना	6600/-	7260/-	मैट्रिक/ समकक्ष	अवधि विस्तार
प्रखंड स्तर पर						
प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	534	नियत मानदेय 25000/-	20000/-	25000/-	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
विषय वस्तु विशेषज्ञ	1068	नियत मानदेय 15000/-	—	—	—	विषय वस्तु विशेषज्ञ का पद भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है। इसलिये 1068 विषय वस्तु विशेषज्ञ का पद को प्रत्यार्पित किया जाता है।

—१०१— *M*

अशोक प्रसाद

सहायक प्रबंधक	तकनीकी	1602	नियत मानदेय 15000/-	-	15000/-	एन.एम. ए.ई.टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. 9-4/ 2008-AE दिनांक 03 मार्च, 2014 के द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञ के स्थान पर सहायक तकनीकी प्रबंधक पद का सृजन किया गया है।
लेखापाल		534	राज्य योजना	11000/-	12100/-	स्नातक कॉमर्स	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर ऑपरेटर	प्रोग्रामर/	534	राज्य योजना	8800/-	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के देय मानदेय।	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
अनुसेवक चौकीदार	-सह-	1068	राज्य योजना	6600/-	7260/-	मैट्रिक/ समकक्ष	अवधि विस्तार

14. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

15. वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश मद में निकासी/व्यय के लिए स्वीकृत राशि 7543.00 लाख रुपये (पचहत्तर करोड़ तेतालीस लाख रुपये) का व्यय मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं.-1-उपशीर्ष-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090217 विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित 200.00 लाख रुपये एवं विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित 7343.00 लाख रुपये, कुल 7543.00 लाख रुपये (पचहत्तर करोड़ तेतालीस लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

राज्यांश मद में निकासी/व्यय के लिए स्वीकृत राशि 3869.37 लाख रुपये (अड़तीस करोड़ उनहत्तर लाख सौतीस हजार रुपये) का व्यय मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं.-1-उपशीर्ष-0317-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090317 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित 3869.37 लाख रुपये में से अवशेष राशि 3584.96 (पैतीस करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार रुपये) से विकलनीय होगा।

16. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 विं (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति सचिका संख्या-आत्मा-08/2014 के पृष्ठ सं-15/टि. पर दिनांक- 09.09.2014 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 विं (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- आत्मा-08/2014 के पृष्ठ सं-18/टि. पर दिनांक- 29.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश-रो

(४०१०९१)

(प्रियवनाथ चौधरी)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

१९११५  
१०-९-१४  
बिहार कृषि विभाग  
(पटना)-सह-

ज्ञापांक

4542

/कृ०, पटना, दिनांक ३०-०९ ~ 2014

प्रतिलिपि :— योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा) /महालेखाकार (लेठे० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०.९.१४

निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

4542

/कृ०, पटना, दिनांक ३०-०९ ~ 2014

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०.९.१४

निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

4542

/कृ०, पटना, दिनांक ३०-०९ ~ 2014

प्रतिलिपि :— मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, उद्यान/निदेशक, वामेति, पटना/कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

३०.९.१४  
अशोक प्रसाद

३०.९.१४

निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

ASHISH BAHUGUNA  
SECRETARY



भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

Government of India

Ministry of Agriculture

Department of Agriculture & Cooperation

February 22, 2014

D.O.No.3-10/2013-PC (Vol.II)

03 MAR 2014  
मुख्य सचिव

07 MAR  
2014

I am writing this letter to inform you of the revised procedure for transfer of funds to State Governments for implementation of various Centrally Sponsored Schemes, including RKVY.

As you are aware, under the current system, funds for the implementation of various Centrally Sponsored Schemes are released to State Governments, or to Agencies Identified by the State Governments. This procedure has now been revised on the request of several State Governments. With effect from 2014-15, funds for the implementation of these schemes will be classified and budgeted as "Central Assistance to State Plans", and transferred to the Consolidated Fund of the States, and not to any other Agency.

I shall be grateful if you could kindly advise your colleagues in the State Government to carry out the necessary changes in procedures so that no disruption is caused in the implementation of Centrally Sponsored Schemes in 2014-15.

With regards,

Yours sincerely,

श्री अशीष बहुगुणा  
कृषि मंत्री (लग्ज.)  
प्रधानमंत्री कार्यालय  
(Ashish Bahuguna)

Shri Ashok Kumar Sinha  
Chief Secretary  
Government of Bihar  
Main Secretariat Building  
Patna - 800 015

निदेशक, १०० पी० एम० कॉलोन  
डायरी संस्था, ८५८  
दिनांक 10/03/14

अनुसूची-2

२० पद्धति अप्रैल ✓

28



मिस्र/F.No. 27(6)/2014-AE  
भारत सरकार/Government of India  
कृषि मंत्रालय/Ministry of Agriculture  
कृषि एवं सहकारिता विभाग/Department of Agriculture & Cooperation  
विस्तार सुधार इकाई/Extension Reforms Unit

कमरा सं 546 /Room No. 546  
कृषि भवन/Krishi Bhawan  
नई दिल्ली/New Delhi - 110 114  
दिनांक/Dated, the July 2, 2014

To,

The Principal Secretary Agriculture  
Govt. of Bihar,  
New Secretariat Building,  
Bailey Road, Patna – 800015

**Subject: Approval of State Extension Work Plan (SEWP) of Bihar for 2014-15 under ATMA component of National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) reg.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. ATMA-02/2013-2582/Agril./Patna dated June 19, 2014 forwarding therewith SEWP 2014-15 for 38 ATMA districts approved by the State Level Sanctioning Committee (SLSC), Bihar in its meeting held on 21.05.2014. The Administrative approval of the competent authority to the SEWP 2014-15 for an amount of Rs. 15533.746 lakh {restricting allocation for each activity within approved cost norms and cap prescribed under ATMA cafeteria 2014 of Sub-Mission on Agricultural Extension (SMAE)under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET)} is hereby conveyed as per the details given in the Annexure.

2. Funds earlier released to the State and lying unutilized will also be utilized for implementing activities being approved under State Extension Work Plan (SEWP).

3. Rs. 2584.48 lakhs is the tentative allocation communicated to the State vide our letter No. 9(3)/2014-AE dated 12<sup>th</sup> May, 2014. Any additional allocation over and above Rs. 2584.48 lakhs will depend on the relative progress in implementation and pace of expenditure under the ATMA Scheme in your State (compared to other States) and subject to overall availability of funds.

4. The cost norms on various activities should be strictly adhered to as per ATMA Cafeteria, 2014. While implementing the SEWP activities as per enclosed Cafeteria, it may be ensured that:

- Programmatic funds should be spent on rainfed areas at least in proportion to the extent of rainfed area in the district.
- Existing provision of beneficiary contribution has since been discontinued. As such, no beneficiary contribution from farmers shall be required on any of the Cafeteria activities with effect from 2014-15.
- At least 30% of resources meant for programmatic activities are to be allocated for women farmers and extension functionaries.
- At least 10% of the allocation on programmatic activities at district level is required to be used through non-governmental sector viz. NGOs, FOs, PRIs, cooperatives, para-extension workers, agripreneurs, input suppliers, corporate sector etc. A detailed plan for implementation of activities in PPP mode may be drawn and approved by IDWG within one month of issuance of this order.
- No expenditure shall be incurred on in-eligible items. In the event of any such expenditure, the in-eligible expenses shall be deducted from the State's next year's allocation.
- Funds sanctioned for SC & ST category of farmers should be strictly utilized for the purpose it is sanctioned.
- A detailed plan for utilizing funds under 'innovative activities' at district level needs to be drawn and approved by IDWG/SLSC under intimation to Government of India.
- Farmer Advisory Committees (FACs) at State, District & Block level may be necessarily constituted/ suitably strengthened and duly notified within 02 months of the issuance of these orders for getting farmers' feedback into the planning/implementing process.
- A 'Convergence Strategy' detailing therein the sector-wise and location-wise details of trainings, demonstrations, Farm Schools with KVKS and SAUs may be drawn and approved by IDWG/SLSC within one month of issuance of this approval. Achieving convergence among various extension functionaries under RKVY, ATMA, NHM, NFSM etc. at Panchayat level as detailed in Para 5.1.2 of ATMA Guidelines shall form a part of the convergence strategy.
- At least 50% of the mandatory activities indicated in ATMA Cafeteria 2014 and Innovative Technology Dissemination (ITD) component

should be implemented as per provisions contained in the detailed guidelines.

- Approval of IDWG may be sought before implementation of SEWP 2014-15, if not obtained so far. Technical Committee's approval may also be got ratified in SLSC as and when next meeting is convened.
5. The funding support under the Revised Scheme shall be in the ratio of 90:10 (Centre:State) for all components of Cafeteria except 'Farmer Friend' where it will be in 50:50 ratio between the Centre and the States. **In case of Innovative Technology Dissemination (ITD) components 25% expenditure will need to be borne by the State Government.**
6. This approval will remain valid till next SEWP is approved.
7. Other terms and conditions conveyed in Administrative Approval of the scheme vide letter No. 27(4)/2014-AE/Extn. Desk dated 17<sup>th</sup> April, 2014 and *Operational Guidelines of 'Support to State Extension Programmes for Extension Reforms' Scheme, 2014* shall be applicable. **In case of any seeming contradiction with any of the earlier communications, the detailed Operational Guidelines shall prevail.**

Yours faithfully,

(Balram Singh)  
Joint Director (Extn. Ref.)  
Telefax: 011-23381764

**Copy to:**

1. Secretary (Agriculture), Govt. of Bihar, Department of Agriculture, Government of Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna - 800 015
2. The Director, State Institute of Agriculture Extension & Training (SAMETI), Bihar, P.O. Sahay Nagar, Jagdeo Path, Opp: Women's Polytechnic, Near Central Potato Research Station (CPRS), Patna - 800 014, Bihar.
3. Director (Admn.), Directorate of Extension, Krishi Vistar Bhawan, Pusa, New Delhi-110012.
4. P.S. to J.S. (Extn)/ Director (Extn.), DAC.
5. JD(ER)/EO(Y)
6. Hindi Anuwad Anubhag
7. State SEWP File/Guard File.

**SEWP OF BIHAR FOR 2014-15 UNDER THE SCHEME ' SUPPORT TO STATE EXTENSION PROGRAMME  
EXTENSION REFORMS'**

(Amount Rs. In ..)

A. STATE LEVEL ACTIVITIES		Approved physical targets	Approved financial allocation
S. No.	Indicative activities to be taken		
A.1	Monitoring & evaluation (a) Quarterly review workshops and R-E Interfaces (pre-seasonal). (b) Concurrent Monitoring & Evaluation. (c) Expenses for Inter Departmental Working Group on extension reforms and other contingencies including Operational support TA/ DA, hiring of vehicle/POL, and contingencies for SNO and State Coordinator	3  1	2.25  15.00  10.00
A.2	a) Training courses - National/ Inter State / within the state (SAMETI) level - fee for IGNOU courses - Both Govt. & Non-Govt. extension functionaries (including NGOs, para extension workers, entrepreneurs, agri-clinics, agri-business centres, input suppliers, corporates, Farmer Friends, SMSs BTM, Project Director, Dy. Project Director, Director SAMETI & Faculty of SAMETI etc.)  <b>b) Induction Training of ATMA functionaries</b>  <b>c) Refresher Training of All ATMA functionaries</b>  <b>d) Development of Quality Resource material for training &amp; HRD interventions</b>	13350	200.25
A.3	Exposure visit of extension functionaries to progressive states (A group of minimum 5 participants).	2136	21.36
A.4	Organization of state level exhibitions/ kisan melas/ fruit/ vegetable shows etc.	520	5.20
A.5	Krishi Expo and Regional Fairs  Participation in Krishi Expo organized by DAC.	45	0.675
A.6	Rewards & incentives • Award for best performing district ATMA	18690	186.90
A.7	a) Farmer Awards - Best farmers representing different enterprises.  State level  District level  <b>b) Incentives for Exemplary Extension Work to District/Block</b>  <b>c) Incentivising Scientist and Extension Personnel</b>  <b>d) Lumpsum grant for PPP model</b>	1  1  5  5  114	6.00  2.00  1.50  2.50  1.25  28.50
A.8	Upgrading and restructuring of apex State level training institutions for greater autonomy/ private initiatives to respond to changing requirements as a State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)	Being a Lumpsum provision modalities are be finalized.	
	<b>Recurring</b>		74.76
	(a) Operational expenses		5.00
	(b) Documentation of success stories etc. (preparation and dissemination).		4.00
	(c) Vehicle hiring & POL		
	<b>Non - Recurring</b>		8.00
	(d) Equipment		575.15
	<b>GRAND TOTAL (A)</b>		
B.	<b>DISTRICT LEVEL ACTIVITIES [For each district]</b>		
	I. Farmer oriented activities		
B.1	Developing Strategic Research & Extension Plan (SREP)	6	9.000
B.2	Training of farmers for maximum period of 21 days.	17622 24030 469920 0	220,275 240,300 1174,800 0.000
B.3	Organizing demonstrations	32040 16020	1281,600 640,800
	a) Demonstration (Agri.)		
	b) Demonstration (allied sector)		

	<b>Indicative activities to be taken</b>	<b>Approved physical targets</b>	<b>Approved financial allocation</b>
B.4	Exposure visit of farmers – maximum duration of 7 days excluding travel time a) Inter State b) Within the State c) Within District	18690 53400 48060	149.520 213.600 144.180
B.5	Mobilization of farmer groups of different types including Farmer Interest Groups, Women Groups, Farmer Organizations, Commodity Organizations, and Farmer Cooperatives etc. a) Their capacity building, skill development and support services b) Seed money /revolving fund c) <b>Food Security Group</b>	5340 2670 1068	267.000 267.000 106.800
B.6	Rewards and incentives – - Best organized group representing different enterprises (5 groups)	190	38.000
B.7	Farmer Awards -best farmers representing different enterprises - Block level	2670	267.000
<b>III. Farm Information Dissemination</b>			
B.8	District level exhibitions, kisan melas, fruits/ vegetable shows:	38	152.00
B.9	a) Information dissemination through printed leaflets etc and local advertisements. b) <i>Low cost publication</i>	38 534	152.00 384.48
B.10	Development of technology packages on electronic form to be shared through IT network.	380	76.00
<b>IV. Agricultural Technology Refinement, Validation and Adoption</b>			
B.11	(i) Farmer Scientist Interactions at district level 25 farmers for 2 days. (ii) Designated expert support from KVK/ SAU at district level. (iii) <i>Joint visits by Scientists and Extension Workers</i>	76 51 0	15.20 9.12 10.944
B.12	Organization of field days and kisan gothis to strengthen Research – Extension – Farmer linkages (per block in each season).	1068	160.200
B.13	Assessment, refinement, validation and adoption of frontline technologies and other short term researchable issues through KVKS and other local research centres.	38	190.000
<b>IV. Administrative / Capital expenses</b>			
B.14	<b>Establishment of ATMA like institutions</b> (i) Operational Expenses including TA/ DA for district level (ii) Hiring of vehicles and POL (iii) Operational Expenses exclusively for block level (including hiring of vehicles and POL) (iv) <i>Operational Expenses for DFAC</i> (v) <i>Operational Expenses for BFAC</i> <b>Non – Recurring</b> (vi) Equipment	24 24 259 152 6408 38	296.40 68.40 160.20 30.40 961.20 152.00
B.15	Farm School	1602	471.212
<b>TOTAL B1</b>			<b>8309.631</b>
<b>C. INNOVATIVE ACTIVITIES – State Level</b>			
C.1	Implementation of Extension Activities through Agri-Entrepreneurs trained under Agri-Clinic scheme.	0	0.00
C.2	PG Diploma in Agricultural Extension Management through MANAGE	0	0.00
<b>TOTAL C</b>			<b>0.00</b>
D.1	Support for district level Training Institutions – It may include both "Operational Expenses" * and Non-Recurring Expenditure.	38	190.00
D.2	(i) Setting up CRS (ii) Content Creation (a) 1st Year for two hrs. of daily programme i.e. 730 hrs./ year (b) 2nd year for one & half hr. of daily programme i.e. 540 hrs/ year (c) 3rd year for 1/2 hr. of daily prog. i.e. 183 hrs./ year.	1	65.00

S. No.	Indicative activities to be taken	Approved physical targets	Approved financial allocation
D.3	<b>Farmer Friend</b>		
	<b>TOTAL (D)</b>	4232	253.92
E.	<b>OTHER INNOVATIVE ACTIVITIES -</b>		508.92
E.1	Innovative activities - State component	1	25.00
E.2	Innovative activities - District component	534	267.00
	<b>TOTAL (E)</b>		292.00
F.	<b>ITD components</b>		
F.1	<i>Display board</i>		
F.2	<i>Pico projector</i>	847	16.94
F.3	<i>Low cost film production</i>	534	160.20
F.4	<i>a) Handheld Devices</i>		0.00
	<i>b) GPRS charges</i>	0	0.00
F.5	<i>Kala Jatha &amp; other innovative practices</i>	0	0.00
	<b>TOTAL (F)</b>		177.14
	<b>Total innovative activities (C+D+E)</b>		978.06
G.	<b>Specialist and Functionary Support</b>		
1	State Coordinator	1	7.80
2	Gender Coordinator	1	4.80
3	Director	1	95.80
4	Deputy Director	12	0.000
5	Accountant-cum-clerk	1	0.000
6	Computer Programmer	1	0.000
7	Project Director	1	0.000
8	Deputy Project Director	38	1079.91
9	Accountant-cum-clerk	76	0.00
10	Computer Programmer	38	0.00
11	BTM	38	0.00
12	ATM	534	1602.00
	<b>TOTAL (G)</b>	1602	2853.60
	<b>GRAND TOTAL (A to G)</b>		5675.91
			15533.74